नगर परिषद, बूंदी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BUNDI/FIRENOC/2025-26/65869

जारी दिनांकः 27-MAR-2026 वैधता दिनांकः 26-MAR-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः DRON SHARMA

आवेदक का पताः 149, KAMLA UDHYAN KUNHADI, KOTA, THERMAL COLONY, KOTA RAJASTHAN

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **C.K. INTERNATIONAL SCHOOL, OPPOSIT BUNDI RAILWAY STATION, BEHIND LAKSHMIVIHAR COLONY, WARD 25, BUNDI, BUNDI, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:–

1. उक्त फायर अनापति प्रमाण पत्र जारी दिनांक से वैधता दिनांक तक ही मान्य होगा। उसके बाद अनापति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा। फायर अनापति प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु वैधता दिनांक से पुर्व आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. उक्त भवन/परिसर के अंदर ट्रांसफार्मर नही रखा जावेगा। यदि भवन में सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाता है तो उसकी स्वीकृती जेवीवीएनएल या संबधित विभाग से प्राप्त करनी होगी।
3. उक्त भवन/परिसर में बेसमेंट के निर्माण हेतु स्वीकृती संबधित नगर परिषद,बून्दी विकास प्राधिकरण से लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृत बेसमेंट में केवल मानव रहित कार्य/गतिविधियां संचालित की जावेगी,लाईब्रेरी/मेस/कम्प्यूटर लेब/केफे/अन्य व्यवासायिक गतिविधियां संचालित नही की जावेगी।
4. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जायेगा।
5. 5.भवन/परिसर के संचालक/मालिक द्वारा 24 घंटे फायर फाईटर तैनात करने होंगे तथा स्वयं के स्तर पर वर्ष में तीन बार फायर मॉकड्रिल आयोजित किया जाना अनिवार्य है।
6. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते है तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होगें।
7. यह अनापति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टारेंट के लिए मान्य नही है । जिस भाग के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टारेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
9. भवन/परिसर का अग्निशमन विभाग के अधिकारीयों द्वारा कभी भी निरिक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में रखना होगा। अग्नि दुर्घटना होने पर संचालक/मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन/परिसर तक पहुंच सके इसके लिये अवरोध रहित पर्याप्त खुला स्थान रखना होगा तथा भवन के आवागमन हेतु एक ही प्रवेश एवं निकास द्वार होने पर आपातकालीन निकास द्वार/आपातकालीन निकास होना अनिवार्य है।
10. भुमि व भवन रहवास संबंधित किसी भी प्रकार के वाद-विवाद हेतु यह अनापति प्रमाण पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस आश्य में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिती में रखने को बाध्य होंगे।
12. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवाइ जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
13. निरिक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशो का पालन करना आवश्यक होगा।
14. भवन के समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
15. संचालक/मालिक को उपरोक्त सभी र्तो का पालन करना होगा इस अभाव में अनापति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्वत्रंत रुप से होगा।

Signed by: Asha Meena
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: BUNDI, Rajasthan
Date: 27/03/2026 17:03:09

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, बूंदी